(राजस्थान—सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारां

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :— 08/2022
इस्तगासा गुण्डा एक्ट रजिस्ट्रेशन सं0 :— 2022/54

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ
(सायल)

बनाम

पुरूषोत्तम उम्र 36 वर्ष पुत्र मदनलाल जाति मेघवाल निवासी कासों का मौहल्ला अटरू जिला बाराँ
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा—3

उपस्थिति :— 1— अभियोजन अधिकारी (सायल)
2— स्वयं उपस्थित (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 10.06.2022

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल पुरूषोत्तम पुत्र मदनलाल जाति मेघवाल निवासी कासों का मौहल्ला अटरू जिला बाराँ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा—3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू जिला बाराँ ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना अटरू क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति अवैध जुआ सट्टों खेलने, अवैध हथियार रखने, मारपीट करने के अपराधों का आदि है। इसके विरूद्व पुलिस थाना अटरू में वर्ष 2018 से वर्ष 2021 तक अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत (7) भादस (1) 4/25 आर्म्स एक्ट (1) के तहत कुल 09 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। जिनमें से अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत 04 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। इसके विरूद्व 41/110 सीआरपीसी के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर [illegible] कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता पर भय का वातावरण [illegible] प्रकरणों [illegible] न्यायालय द्वारा दोष सिद्व भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा—3 के तहत कार्यवाही की जावे। इस्तगासे विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा—3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:35:58 IST
Reason: SelfAttested

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व इस्तगासा दिनांक 25.03.2022 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल को जर्ये सम्मन तलब किया गया। गैरसायल द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नही किया जाकर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण मे गैरसासल का जवाब बन्द किया जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना अटरू जिला बाराँ में वर्ष 2018 से वर्ष 2021 तक अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत (7) भादस (1) 4/25 आर्म्स एक्ट (1) के तहत कुल 09 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। जिनमें से अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत 04 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। इसके विरूद्व 41/110 सीआरपीसी के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है। इसकी दिनों–दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, आतंक सम्पति का खतरा निरन्तर बढता जा रहा है। इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नही लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसो की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

गैरसायल द्वारा स्वयं उपस्थित होकर कहा गया कि मेरे विरूद्व थाने मे वर्ष 2018 से वर्ष 2021 तक अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत (7) भादस (1) 4/25 आर्म्स एक्ट (1) के तहत कुल 09 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। जिनमें से अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत 04 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया गया है। मेरे द्वारा उक्त कार्य भी छोड दिया गया है। वर्तमान मे मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूॅ। मेरे विरूद्व प्रस्तुत किया गया गुण्डा एक्ट का इस्तागासा खारिज किया जावे।

अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। पुलिस थाना अटरू जिला बाराँ में वर्ष 2018 से वर्ष 2021 तक अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत (7) भादस (1) 4/25 आर्म्स एक्ट (1) के तहत कुल 09 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। जिनमें से अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत 04 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि पुरूषोत्तम पुत्र मदनलाल जाति मेघवाल निवासी कासों का मौहल्ला, अटरू जिला बारां द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है, क्योंकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को 04 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:35:58 IST
Reason: SelfAttested

अतः गैरसायल पुरूषोत्तम पुत्र मदनलाल जाति मेघवाल निवासी कासों का मौहल्ला अटरू जिला बाराँ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना अटरू जिला बाराँ से 01 माह के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल पुरूषोत्तम पुत्र मदनलाल जाति मेघवाल निवासी कासों का मौहल्ला अटरू जिला बाराँ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना अटरू जिला बाराँ क्षेत्र से 01 माह के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, बपावर जिला कोटा को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 26.06.2022 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना बपावर जिला कोटा को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना अटरू जिला बारॉ क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना बपावर जिला कोटा के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:35:58 IST
Reason: SelfAttested